

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक - एफ3(ख)(1)अलेसे-II/653

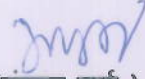
दिनांक 04-07-2017

आदेश संख्या- 102 /2017-18

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II का स्थानान्तरण / पदस्थापन कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में तुरंत प्रभाव से किया जाता है-

क्र.स.	लिक नम्बर	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	9708	विनोद कुमार पालीवाल	कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) विभाग जयपुर (1885)

उक्त कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किया गया है अतः इन्हें यात्रा भत्ता तथा योगकाल देय नहीं होगा.


(मंजुना वर्मा)
निदेशक

क्रमांक - एफ3(ख)(1)अलेसे-II/644

दिनांक 04-07-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग , शासन सचिवालय, जयपुर
- 2- विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष ----- को प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्य मुक्तकर नव पदस्थापन कार्यालय में कार्य ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें.
- 3- कोषाधिकारी -----
- 4- सम्बंधित कार्मिक को प्रेषित कर निदेशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर कार्य ग्रहण काल का उपयोग किए बिना तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण कर सूचना फैक्स / विभागीय ईमेल aao2.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाएं.
- 5- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/ कार्मिक-II/ कार्मिक-III) कार्यालय हाजा .
- 6- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- 7- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु .
- 8- रक्षित/ निजी पत्रावली.


(सावरमल)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)